राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 26/2025 (बिजौलियां) दायर तारीख 24.04.2025

वादपत्र संख्या (334/2010) (माण्डलगढ़) दायर तारीख (03.06.2010)

अनवान

1. विजयराम पुत्र भंवरलाल जाति गुजर उम्र 40 साल व्यवसाय खेती निवासी सलावटीया तहसील बिजोलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा।
2. ग्राम पंचायत सलावटीया मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत सलावटीया पंचायत समिति मान्डलगढ/बिजौलियां तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादी।
2. पैरोकार सरकार / ग्राम पंचायत सलावटियां – प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13 /04/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1 व 3 जा0 दि0 धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की मौजा सलावटीया तहसील बिजौलियां स्थित बिलानाम राजकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 218 मीन रकबा 4 बीघा जरिये आवंटन के गैर खातेदारी अधिकारी से आवंटन समिति द्वारा आवंटीत की गई व नियमानुसार कब्जा वादी को दिया जाकर उसरा परिशोषन में वादी का नाम वादग्रस्त जायदाद पर बहैसियत गैर खातेदार के दर्ज किय गया। आराजी खसरा नंबर 218 मी गत बन्दोबस्ती खसरा होकर वर्तमान में वादी के कब्जे मे आवंटन के पश्चात जो भूमि है उसका खसरा नम्बर 1283/516 रकबा 5 बीघा बीघा 15 बिस्वा हैं। जब वादी को भूमि का आवंटन किया गया तब आराजी खसरा नंबर 218 मीन बिलानाम काबिल काश्त भूमि थी किन्तु बन्दोबस्त में उक्त भूमि की किस्म बदली जाकर किस्म भूमि चरागाह दर्ज कर दी गई । प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश की प्रविष्ठी से जो उसके द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखो में दर्ज थी उसकी अन्देखी की एवं भूमि को चरागाह दर्शाते हुये उसे प्रतिवादी नंबर 2 के खाते में वर्तमान में राजस्व अभिलेखो में दर्ज कर दिया। इस प्रकार की की गई अवैध एवं विधि विरूद्ध प्रविष्ठी का वादी स्वामित्व व कब्जे पर विपरीत प्रभाव नहीं है वादी आज भी उसकी कब्जे वाली भूमि पर जो उसे आवंटीत हुई है पर साधिकार काबिज चला आ रहा है यह तथ्य प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पोषित राजस्व अभिलखो से भी सिद्ध है। वादी की कब्जे एवं आवंटीत भूमि जो प्रतिवादी नंबर 2 की खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध तरिको से दर्ज गई है वह समाप्त की जाकर वादी को आराजी खसरा नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि एवं न्याय संगत है । प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे वाली भूमि को राजस्व अभिलेखों में चरागाह रूप मे दर्ज होने मात्र से वादी के विरूद्ध कब्जा हटाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अनुचित कार्यवाही की जा सकती हैं जब कि वादी को 1972 से जरिये काश्त के शान्ति पूर्वक एवं बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज चला आ रहा है उसके निरन्तर कब्जे में परिपेक्ष मे न तो वादी को अतिक्रमी परिभाषीत किया जा सकता है न ही उसे किसी कानूनी व्यवस्था द्वारा हटाया जा सकता है प्रतिवादी के अधिकारों के विपरीत है। वादी अपने सुरक्षित कब्जे के लिये निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकारी है। वादी ग्रामीण अशिक्षित एवं एक साधारण काश्तकार हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

यह समझता रहा कि उसे आवंटन में प्राप्त भूमि की प्रविष्ठी राजस्व अभिलेखों में उसके पक्ष में हो इसलिये उसे कभी भी राजस्व अभिलेखो में देखने का काम नहीं पडा दिनांक 2–4–2010 को वादी द्वारा वादी के वादग्रस्त जायदाद बाबत रेकार्ड मांगने पर बताया गया कि वादग्रस्त जायदाद के खाते में दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी नंबर 2 के खाते मे दर्ज है उसी दिनांक को प्रथम बार यह जानकारी हुई की प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने राजस्व अभिलेखो को चूक कर अथवा जानकर वादी के नाम भूमि दर्ज होने में वंचित कर दिया। वादी को प्रथम बार विनाएं 2–4–2010 राजस्व रेकार्ड बाबत जानकारी होने से बिनायदावा उत्पन्न हो सतत रूप से जारी है।

अतः वादी अनुतोष चाहता है कि विवादित जायदाद स्थित मौजा सलावटिया आराजी नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा से प्रतिवादी नंबर 2 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध, प्रतिवादीगण के सादिर किया जावे। विवादित जायदाद स्थित मौजा सलावटिया मे आराजी खसरा नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में वादी को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल नही करें उनके कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुंचाये व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियमो के तहत उसके विरूद्ध अनुचित कार्यवाही नहीं करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री प्रदान की जावें। अन्य अनुतोष उचित व्यय हो वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र तामील करवायी गयी। प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया कि – वादपत्र की चरण संख्या 1 से 7 अस्वीकार किया हैं। (वादग्रस्त भूमि चरागाह हैं। वादी अतिक्रमी है जिसको बेदखल किया जाना न्यायसंगत हैं।) वादपत्र की चरण संख्या 8 अस्वीकार किया हैं। वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी में कभी रही नही। वादपत्र की चरण संख्या 9 अस्वीकार किया हैं। वादपत्र की चरण संख्या 10 से 12 न्यायालय से सम्बन्धित हैं। वादपत्र की चरण संख्या 13 वादग्रस्त आराजी नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा ग्राम सलावटिया चरागाह भूमि हैं। वादी अतिक्रमी हैं। अतिक्रमी को बेदखल करना व भू–राजस्व अधि0 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही न्याय संगत हैं। अतिक्रमी को किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने का हक नहीं हैं। अतः वाद खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज सूची, नकल जमाबन्दी ग्राम सलावटिया संवत 2063 से 2066, खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2066, खसरा परिवर्तत निर्धारण संवत 2066, नक्शा ट्रेस सलावटियां, प्रमाणित प्रतिलिपी डिमाण्ड कायमी, खसरा परिशोधन, प्रमाणित प्रतिटाल बाछ, नक्शा फोटो प्रति सलावटियां 1982–83, मिलान खसरा संवत 2028 प्रमाणित प्रति संलग्न की जो शामिल पत्रावली हैं।

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। साक्ष्य वादी में PW-1 विजयराम पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी सलावटियां तहसील बिजौलियां, PW-2 भंवरलाल पिता काना मीणा निवासी सलावटिया, एवं PW-3 मांगूगर पिता हीरागर गोस्वामी निवासी सलावटिया के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

PW-1 विजयराम गुर्जर ने अपने बयान में वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावजो का जिक्र किया एवं वर्तमान में मुझे आवंटित हुई जमीन मेरे ही कब्जे में निरन्तर इस जमीन पर खेती कर रहा हूँ। मैने सरहदों की दीवार लगा रखी है। इस जमीन में मैने कुआ नही खोद रखा हैं लेकिन दूसरो के कुए से पानी लाता हूं। काश्त कर रहा हूं। वर्तमान में जमीन चरागाह में दर्ज कर दी गई जो गलत हैं। जमीन पुनः खाते में दर्ज कराना चाहता हूँ। मुझे बेदखल नही किया जावें।

जिरह – यह कहना गलत हैं कि वादग्रस्त भूमि पर मेरा कब्जा न हो पर मुझे पता नही कि मेरी जमीन चरागाह में दर्ज की गई हैं। जमीन चरागाह हैं जिस पर लगातार कब्जा हैं। जमीन मेरे नाम चाहता हूं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादीगण में रखा गया।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 मोहनलाल पिता घीसालाल जाति बुनकर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का निवासी जवाहर सागर बांध हाल सलावटियां, मदनलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा पेशा ऑफिस ... तहसील बिजौलियां निवासी जोजवा, जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 मोहनलाल ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम सलावटियां की जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 साथ लाया हूं। जमाबन्दी मे खाता संख्या 1 पर खसरा नम्बर 218 रकबा 95 बीघा 3 बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकॉर्ड हैं। आंवटन का दाखिला अंकित नहीं हैं। इसके बाद की जमाबन्दी में चरागाह आ0नं0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा चरागाह दर्ज रेकॉर्ड हैं। किन्तु उक्त खसरा 218 का ही बड़ा रकबा जैसा कि उक्त जमाबन्दी में 95 बीघा 3 बिस्वा नकल अंकित हैं। इसके नम्बर 218 के नये नम्बर बने हैं वो भी चरागाह अंकित हुए। इस बड़े नम्बर में उसका आवंटी कहा ... ख.नं. 218 तथा आवंटन हुआ इसकी जानकारी वर्तमान नक्शे से यह तो सेटलमेन्ट के तरमीमी नक्शे से हो ... था तथा ... नक्शे में आवंटित नम्बर को दिखया जाना अस्पष्ट हैं। मामले में तरमीम शीट ... है। पत्रावली में संलग्न नक्शे ... आवश्यक हैं। तरमीम शीट से स्थिति स्पष्ट होगी।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं लिखित बहस में अंकित किया कि वादी को वादग्रस्त जायदाद खसरा नं0 1283/516 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहा हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं ... पर मनन किया। साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि चरागाह दर्ज हैं। वादी के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से प्रस्तुत वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :-

—:: आदेश ::—

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा सलावटिया स्थित आराजी खसरा नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वां के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादी के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री ... किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 13/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 26/2025 (बिजौलिया) — दायर तारीख 24.04.2025

प्रकरण संख्या (334/2010) (माण्डलगढ़) — दायर तारीख (03.06.2010)

अनवान

1. विजयराम पुत्र भंवरलाल जाति गुजर उम्र 40 साल व्यवसाय खेती निवासी सलावटीया तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा।
2. ग्राम पंचायत सलावटीया मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत सलावटीया पंचायत समिति मान्डलगढ़/बिजौलियां तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13/04/2026

डिक्री दिनांक : 13/04/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ व पैरोकार सरकार / ग्राम पंचायत सलावटियां को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम सलावटिया स्थित आराजी खसरा नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वां के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादी के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या-02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

...नीज ....Nil..........मुबलिग ....Nil .... बाबत
...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ....Nil ......फीस दी सालाना आज की
...से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ...... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 04 वर्ष 2026 को जारी
...गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
...अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
...वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
...वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
...ताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
...गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
...कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
...इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
...फरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ